भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1891

दिनांक 4 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

चिकित्सकों के कार्य घंटों का विनियमन

1891 डा. अजित माधवराव गोपछड़े:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सरकारी तथा निजी अस्पतालों में चिकित्सकों के अधिकतम दैनिक एवं साप्ताहिक कार्य घंटों को विनियमित करने हेतु एक समान एवं लागू करने योग्य राष्ट्रीय ढ़ांचे के अभाव तथा रोगी सुरक्षा एवं गुणवत्तापूर्ण देखभाल पर इसके प्रभाव का आकलन किया है;
(ख) क्या इस संदर्भ में अमेरिका, यूके, जापान और हांगकांग में अपनाई गई अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं तथा केरल राज्य सरकार द्वारा जारी काम के घंटे संबंधी परिपत्रों की जांच की गई है; और
(ग) क्या सरकार राज्य सरकारों और चिकित्सा निकायों के परामर्श से, चिकित्सकों के कार्य घंटों को विनियमित करने तथा अनैतिक चिकित्सा विज्ञापन पर नियंत्रण सहित नैतिक चिकित्सा प्रथाओं को सुदृढ़ करने हेतु राष्ट्रीय दिशा-निर्देश तैयार करने का प्रस्ताव रखती है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी), जिसकी स्थापना राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 के अंतर्गत की गई है, चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा व्यवसाय तथा चिकित्सा संस्थानों के लिए सर्वोच्च नियामक निकाय है। एनएमसी समय-समय पर नीतियाँ एवं विनियम निर्धारित करता है तथा उनके अनुपालन हेतु स्पष्टीकरण/निर्देश जारी करता है।

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा जारी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा विनियम, 2023 (पीजीएमईआर-23) के अनुसार, सभी स्नातकोत्तर छात्र पूर्णकालिक रेज़िडेंट चिकित्सक के रूप में तर्कसंगत कार्य-घंटे तथा प्रतिदिन पर्याप्त विश्राम समय के साथ कार्य करेंगे। स्नातकोत्तर छात्र प्रति वर्ष 20 दिनों के आकस्मिक अवकाश, 5 दिनों के शैक्षणिक सवेतन अवकाश तथा प्रति सप्ताह एक दिवस का अवकाश के हकदार हैं। इसके अतिरिक्त, महिला

स्नातकोत्तर छात्राओं को मातृत्व अवकाश तथा जारी सरकारी नियमों एवं विनियमों के अनुसार, पुरुष स्नातकोत्तर छात्र पितृत्व अवकाश के हकदार है।

नैतिक चिकित्सा प्रथाओं के संबंध में, जिसमें अनैतिक विज्ञापन पर नियंत्रण शामिल है, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और नैतिकता) विनियम, 2002 पंजीकृत चिकित्सा व्यावसायियों (आरएमपी) के व्यावसायिक आचरण और चिकित्सा नैतिकता को विनियमित करते हैं।

******